राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
एस. टी. सी. बिल्डिंग, नई दिल्ली-110001

एफ. नं. ए- 110018/01/2021-सीएक्यूएम **दिनांक: 19.10.2023**

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत निर्देश –एनसीआर में सार्जवनिक परिवहन सेवाओं विशेषत: बसों को स्वच्छ मोड में बदलना

जबकि, पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है | (इसके बाद आयोग के तौर पर संदर्भित)|

2. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग का अधिकार है कि एन सी आर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निर्देश आदि जारी करे जैसा कि वह आवश्यक या व्यावहारिक समझे |

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12(2) (ix) आयोग को शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को लिखित में आदेश जारी करें और ऐसे व्यक्ति या अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे|

4. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (v) के तहत आयोग के पास अधिकार हैं कि वह, किसी भी उद्योग, सञ्चालन या प्रक्रिया को चलाने वाले क्षेत्रों पर प्रतिबन्ध लगा सकता है जिसका क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है |

5. जबकि, पूरे एनसीआर में परिवहन क्षेत्र से वायु प्रदूषण का उल्लेखनीय रूप से अत्यधिक योगदान है जो विशेषत: सर्दियों के मौसम में और अधिक होता है | एनसीआर के अन्दर और अंतर शहर बस सेवाओं से वायु प्रदूषण कम करने में कुशल एवं स्वच्छ सार्वजानिक बस सेवाओं से मदद मिलेगी |

6. जबकि, उपरोक्त बताए गए उद्देश्यों के लिए आयोग में एनसीआर राज्यों के साथ आयोजित बैठकों की श्रृंखला में स्वच्छ बस सेवाओं में परिवर्तन के लिए विस्तृत कार्य योजनाए एनसीआर में विकसित करने के लिए विचार-विमर्श किया गया जिसमें इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया गया कि पूरे एनसीआर में लम्बी अवधि (पाँच वर्षो के भीतर) बस सेवाओं को ई वी में बदलने के लिए लक्ष्य रखा जायेगा, मध्यम अवधि (तीन वर्ष में) ई वी / सी एन जी बसों में बदला जायेगा और अंतरिम अवधि में ई वी / सी एन जी / बी एस – VI डीजल बसें चलेंगी |

7. जबकि, एनसीआर राज्यों द्वारा एनसीआर में केवल सीएनजी/ईवी बसों में ही बदलाव के लिए अधिक समय लगेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा एनसीआर में केवल सीएनजी / ईवी / बी एस – VI डीजल बसों के चलने की अनुमति है सभी एनसीआर राज्यों के लिए पुरानी बी एस -III/IV डीजल बसों को बी एस – VI डीजल बसों के साथ बदलाव को प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता है

8. जबकि, इसके जवाब में, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की राज्य सरकारों ने पुरानी बीएस-III और बीएस -IV डीजल बसों में बदलाव /स्थानांतरण के लिए अपनी-अपनी कार्य योजनाएँ बनाईं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना है | 2023-24 के दौरान निम्नानुसार नई बी एस-VI डीजल बसें खरीदने की योजना है:

(i) हरियाणा - 1313 नई बीएस-VI डीजल बसें।

(ii) राजस्थान - 590 नई बीएस-VI डीजल बसों के अलावा 440 बीएस-VI डीजल बसों की सेवाएं आउटसोर्सिंग के आधार पर □

(iii) उत्तर प्रदेश - 1650 से अधिक नई बीएस-VI डीजल बसें।

9. जबकि, यह भी बताया गया कि सीएनजी बसों और ईवी की खरीद, संबंधित ईवी नीति के अनुसार, एनसीआर में की जा रही है |

10. जबकि, इस प्रकाश में, परिवहन क्षेत्र के प्रमुख योगदान, विशेषकर सर्दियों के महीने में पर विचार करते हुए से दिल्ली-एनसीआर में समग्र वायु प्रदूषण भार के लिए दिनांक 19.O7.2023 की एक एडवाइजरी जारी की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि O1.11.2023 से संबंधित राज्यों में एनसीआर से दिल्ली की यात्रा के लिए चलने वाली बसें या तो ईवी या सीएनजी है या बीएस-VI डीजल की होंगी |

11. जबकि, एडवाइजरी के तहत एनसीआर में बसों के बदलाव के लिए राज्य सरकारों जैसे कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश द्वारा स्वच्छ मोड में (ईवी/सीएनजी/बीएस –VI डीजल) तय समय सीमा में की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई |

12. जबकि, ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल बसों की वर्तमान उपलब्धता, राज्य सरकारों को विभिन्न सेवाओं को पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों से लेकर दिल्ली और अन्य एनसीआर क्षेत्रों तक ऐसी बसों की कुल आवश्यकता, और इन राज्यों द्वारा ऐसी बसों की नई खरीद की स्थिति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया |

13. अब, इसलिए पूर्वगामी सहित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबद्ध, समय सीमा के आलोक में, आयोग इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा दिल्ली और अन्य राज्यों में चलने वाली अंतर-शहर/अंतर-राज्यीय बस सेवाओं के संबंध में लक्षित समयसीमा के सख्त कार्यान्वयन का निम्नवत निर्देश देता है:

हरियाणा

राज्य के किसी भी शहर/कस्बे और दिल्ली के बीच चलने वाली सभी राज्य सरकार बस सेवाएं 01/11/2023 से केवल ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के माध्यम से चलेंगी । (राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थाओं आदि द्वारा संचालित बस सेवाओं पर भी यह लागू होगा |)

राजस्थान

राजस्थान राज्य के किसी भी एनसीआर शहर/कस्बे से दिल्ली के बीच सभी बस सेवाएं और एनसीआर के किसी भी अन्य शहर/कस्बे के बीच संचालित बस सेवाएँ 01.11.2023 से ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल बसों के माध्यम से संचालित होगी |(राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थाओं आदि द्वारा संचालित बस सेवाओं पर भी यह लागू होगा |)

(ii) राजस्थान के गैर-एनसीआर क्षेत्रों से दिल्ली के लिए सभी बस सेवाएं इसी प्रकार 01.01.2024 से ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल बसों के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा । यह राज्य सार्वजनिक उपक्रमों निजी संस्थाएं आदि द्वारा संचालित बस सेवाओं के लिए भी लागू होगा |

उत्तर प्रदेश

(i) उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी एनसीआर शहर/कस्बे और दिल्ली के बीच सभी बस सेवाएं केवल ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल बसों के माध्यम से 01.11.2023 से संचालित किया जाएगा | यह राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थाओं आदि द्वारा संचालित बस सेवाओं पर भी लागू होगा ।

(ii) उत्तर प्रदेश के आठ एनसीआर जिलों में कुल 874 बसें वर्तमान में चल रही है, जिनमें से कम से कम 250 बसें 01.01.2024 से बीएस-VI डीजल के अनुरूप होंगी और शेष सेवाएं O1.O4.2024 से बीएस-VI डीज़ल अनुपालित होगीं | राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थाओं आदि द्वारा संचालित की जा रही बस सेवाएँ यह इस पर भी लागू होगा ।

(iii) उत्तर प्रदेश के गैर एनसीआर क्षेत्रों से दिल्ली और अन्य राज्यों के एनसीआर क्षेत्र के बीच सभी संचलित 1433 राज्य सरकार की बसें 01-07-2024 से बी एस –VI डीजल अनुरूप संचालित होंगी |

वास्तव में, दिनांक O1.O7.2024 से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के किसी भी शहर/कस्बे से दिल्ली/एनसीआर के अन्य क्षेत्रों तक सभी बस सेवाएँ केवल ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल बसों के साथ संचालित होगी।

जीएनसीटीडी का परिवहन विभाग/यातायात पुलिस विभाग और सभी एनसीआर राज्य, तदनुसार इन निर्देशों को सभी हितधारकों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करेंगें और राज्य द्वारा संचालित की जा रही बस पीएसयू और निजी संस्थाएं आदि भी सेवाओं सहित क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन नियमित निगरानी के माध्यम से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें |

हस्ता०

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
दूरभाष सं. 011-23701197
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
4. मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी
5. अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीएक्यूएम।

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:

1. परिवहन आयुक्त, हरियाणा सरकार
2. परिवहन आयुक्त, राजस्थान सरकार
3. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार
4. परिवहन आयुक्त, जीएनसीटीडी
5. पुलिस महानिरीक्षक (यातायात), हरियाणा सरकार
6. एडीजीपी, राजस्थान सरकार
7. एडीजी (यातायात), उत्तर प्रदेश सरकार
8. अपर. पुलिस आयुक्त (यातायात), जीएनसीटीडी

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव